



मणिपुर विश्वविद्यालय

\*\*\*

वार्षिक लेखा

2011-2012

काँचीपुर : इंफाल

# मणिपुर विश्वविद्यालय काँचीपुर, इंफाल


वर्ष 2011-12 के वार्षिक खाते


## अनुक्रमणिका


क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
3	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	3-4
4	तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ	5-15
5	आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ	16-18
6	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	19-23
7	लेखा पर टिप्पणियाँ	24-27

मणिपुर विश्वविद्यालय  
31.3.2012 तक का तुलन पत्र

संचित/पूंजी निधि एवं देयताएँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 संचित/पूंजी निधि	1	2,095,582,350	1,810,574,166
2 आरक्षित एवं अधिशेष	2	29,290,399	21,095,995
3 पृथग रक्षित/अक्षय निधि	3	175,840,874	216,968,729
4 सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
5 असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	1,800,000	1,800,000
6 आस्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
7 वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	7	615,687,019	512,119,810
<b>कुल</b>		<b>2,918,200,641</b>	<b>2,562,558,699</b>
<b>परिसंपत्तियाँ</b>			
1 अचल परिसंपत्तियाँ	8	2,369,617,538	2,171,535,693
2 निवेश-पृथग रक्षित/अक्षय निधि से	9	120,846,526	87,319,170
3 निवेश-अन्य	10	42,924,793	20,427,505
4 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	384,811,784	283,274,331
5 विविध व्यय (दर्शाए या समायोजित ना किए गए) : कम घाटा अग्रेषित	12	-	-
<b>कुल</b>		<b>2,918,200,641</b>	<b>2,562,556,699</b>
	24		

  
सहायक वित्त अधिकारी


  
उप वित्त अधिकारी


  
कुल सचिव


Registrar  
Manipur University.

मणिपुर विश्वविद्यालय  
वर्षांत 31.3.2012 के लिए आय तथा व्यय के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
2 अनुदान/आर्थिक सहायता	13	417,164,332	425,561,437
3 शुल्क/ अनुमोदन	14	94,630,428	71,646,587
4 निवेश से आय (निधि में स्थानांतरित पृथग रक्षित/अक्षय निधि से निवेश पर आय)	15	15,448,273	5,387,707
5 रोयलटी, प्रकाशन आदि से आय	16	139,725	1,710
6 अर्जित ब्याज	17	4,150,826	1,473,658
7 अन्य आय	18	5,669,556	9,903,383
8 तैयार माल के भंडारण में वृद्धि/(कमी) तथा प्रगतिरत कार्य	19	-	-
<b>कुल (ए)</b>		<b>537,203,140</b>	<b>513,974,482</b>
व्यय			
1 स्थापना	20	507,341,279	422,046,432
2 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	86,034,658	84,259,412
3 अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
4 ब्याज	23	-	-
5 अवमूल्यन (8वीं अनुसूची के अनुसार वर्षांत में शब्द जोड़)		85,206,719	74,611,673
<b>कुल (बी)</b>		<b>678,582,656</b>	<b>580,917,517</b>
आय पर अधिक व्यय का शेष (ए-बी) पृथग रक्षित विशेष निधि में स्थानांतरित आय-प्रतिपक्ष विशेष संख्या 4 के अनुसार विशेष आरक्षित पर स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट) सामान्य आरक्षित को/से स्थानांतरित अधिशेष/ (घाटे) के रूप में संचित/पूँजी निधि में लिए गए शेष		(141,379,516) 15,448,273 - -	(66,943,035) 5,387,707 - -
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ आकस्मिक देयता एवं लेखा पर टिप्पणी	24	(156,827,789)	(72,330,742)

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी


  
कुल सचिव

Registrar  
Manipur University


**मणिपुर विश्वविद्यालय**  
**वर्षांत 31.3.2012 को प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता**

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
I आदि शेष			I व्यय -		
अ) नकद राशि (एमआईटी सहित)	1,467,052.71	873,256.71	अ) स्थापना व्यय	470,654,805.70	374,077,752.05
आ) बैंक शेष -			आ) शैक्षणिक समर्थन	35,220,168.00	14,084,309.00
i) चालू लेखा में	230,171,156.86	43,990,782.96	इ) प्रशासनिक व्यय	50,864,490.00	58,499,487.60
ii) नकद बैंक	166,250.00	1,011,427.00		556,739,463.70	446,661,548.65
iii) जमा खाता			II विविध परियोजनाओं के लिए		
iii) बचत खाता में	25,155,277.98	15,199,074.98	निधि का विपरित भुगतान -	150,387,721.00	95,283,256.30
कम : ईएमएमआरसी का आदि शेष	256,959,737.55	61,074,541.65			
	<b>256,959,737.55</b>	<b>61,074,541.65</b>	III भविष्य निधि में से भुगतान	31,394,607.00	18,040,440.00
II प्राप्त अनुदान -			IV किए गए निवेश और जमा		
अ) भारत सरकार	889,902,799.00	906,553,911.00	अ) पृथग रक्षित/ अक्षय /		
आ) राज्य सरकार से	5,318,590.00	5,867,251.00	संचित निधि में से -		
इ) अन्य स्रोतों से :	2,722,000.00	519,000.00	i) नया जमा	47,978,488.00	35,822,828.00
	<b>897,943,389.00</b>	<b>912,940,162.00</b>	ii) पुनःनिवेश ब्याज	7,537,638.00	3,610,651.00
ई) 2012-13 के लिए अग्रिम अनुदान .	120,230,000.00		आ) स्वयं निधि		
III अन्य निधि :			i) नया जमा	38,924,642.00	70,000,000.00
संचित निधि	-	97,200.00	ii) पुनःनिवेश ब्याज	1,318,667.00	1,210,559.00
पृथग रक्षित निधि	-	45,000.00		<b>95,759,435.00</b>	<b>110,644,038.00</b>
जीपीएफ निधि	23,629,696.00	18,283,842.00	V अचल परिसंपत्तियों पर व्यय तथा		
नई सेवावृत्ति निधि	27,406,122.00	3,440,771.00	पूंजी प्रगतिरत कार्य -		
एमआईएमएस अक्षय निधि	99,000.00	90,000.00	अ) परिसंपत्तियों की खरीद	200,444,494.82	269,777,791.00
	<b>51,134,818.00</b>	<b>21,956,813.00</b>	आ) पूंजी प्रगतिरत कार्य	-	-
IV निवेश पर आय :				<b>200,444,494.82</b>	<b>269,777,791.00</b>
अ) अक्षय/ पृथग रक्षित/ संचित निधि	14,557,316.00	4,493,964.00			
आ) स्वयं निधि	3,513,533.00	1,242,873.00			
	<b>18,070,849.00</b>	<b>5,736,837.00</b>			
<i>कुल खात्म किया गया</i>	<b>1,344,338,793.55</b>	<b>1,001,708,353.65</b>	<i>कुल खात्म किया गया</i>	<b>1,034,725,721.52</b>	<b>940,407,073.95</b>

अग्रेषित कुल	1,344,338,793.55	1,001,708,353.65	अग्रेषित कुल	1,034,725,721.52	940,407,073.95
भुनाया गया निवेश	33,047,333.00	106,592,213.00	VI व्यय के विरुद्ध अग्रिम :	28,370,033.00	13,134,778.00
भुनाया गया पुनः निवेश ब्याज	6,558,383.00	18,580,628.00	VI अधिशेष धन/देय की वसूली	-	-
	39,605,716.00	125,172,841.00	VII वित्त प्रभार	-	-
V प्राप्त ब्याज :			VIII प्रेषण प्रतीक्षारत कटौती	106,675,441.35	80,898,967.80
अ) ब्याज आय	629,239.00	202,887.00	IX छात्रावास लेखा (एमआईटी) को ऋण	200,000.00	7,000,000.00
आ) निधि लेखा में जमा ब्याज	637,039.00	480,500.00	IX ऋण का भुगतान	9,032,000.00	
	1,266,278.00	683,387.00	X ईएमएमआरसी को प्रेषित अनुदान	100,395,793.00	22,825,811.00
VI अन्य आय -	101,580,360.00	81,438,966.00	XI अन्य भुगतान -	80,100,000.00	163,983,709.00
VII उधार ली गई राशि	-	-	XII अंतर लेखा स्थानांतरण - प्रति कौंट्रा	1,359,498,988.87	1,228,250,339.75
VIII अन्य प्राप्तियाँ	110,035,720.52	112,222,820.65	XII अंत शेष		
XI अंतर लेखा स्थानांतरण - प्रति कौंट्रा	80,100,000.00	163,983,709.00	अ) नकद राशि	844,781.71	1,467,052.71
XII ईएमएमआरसी - अनुदान	14,127,394.00		आ) बैंक शेष -		
XIII ऋण की वसूली - एमआईटी	7,200,000.00		i) चालू लेखा में	289,210,551.51	230,171,156.86
			ii) बचत लेखा में*	43,579,545.98	25,155,277.98
			iii) नकद चेक	25,000.00	166,250.00
			iv) ईएमएमआरसी-लेखा	5,095,394.00	
कुल	1,698,254,262.07	1,485,210,077.30	कुल	1,698,254,262.07	1,485,210,077.30

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव

Registrar  
Manipur University


मणिपुर विश्वविद्यालय


31.3.2012 को तुलन पत्र के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ


2011-12

अनुसूची-1	संचित/पुंजी निधि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वर्ष की शुरुवात में शेष	1,810,574,165.70	1,570,975,322
	मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) की उद्घाटन निधि	-	-
	जोड़ें : पुंजी व्यय - योजना खाते के लिए अनुदान	371,052,868.50	288,468,039
	जोड़ें : एमआईटी के एमओडीआरओबी के लिए एआईसीटीई से अनुदान	-	-
	जोड़ें : संचित/पुंजी निधि के ओर योगदान (अन्य निधियों से हुई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त)	70,783,105.00	26,042,464
	पृथग रक्षित निधि/संचित निधि		
	जोड़ें/घटाए: आय एवं व्यय के खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/ (व्यय) के शेष	(156,827,789.20)	(72,330,742)
	कम: एचबीए, योजनाकार एवं वाहन अभिभाषक खाते से संचित निधि में स्थानांतरण	-	(2,580,916)
	वर्ष के अंत में शेष	2,095,582,350.00	1,810,574,166

अनुसूची-2 भंडार एवं अधिशेष	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
1 पुंजी भंडार						
2 पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ						
3 विशेष आरक्षितें कम: वर्ष के दौरान कटौती						
4 सामान्य आरक्षितें	भविष्य निधि	जमा खाता	कुल	भविष्य निधि	जमा खाता	कुल
पिछले खाते के अनुसार	20,482,114.70	613,880.00	21,095,994.70	22,382,486	613,880	22,996,366
वर्ष के दौरान जोड़	8,194,404.00	-	8,194,404.00	(1,900,371)	-	(1,900,371)
कम : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-	-
कुल	28,676,518.70	613,880.00	29,290,398.70	20,482,115	613,880	21,095,995

  
सहायक वित्त अधिकारी


  
उप वित्त अधिकारी


  
कुल सचिव 5  
Registrar  
Manipur University


अनुसूची - 3 : पृथग रक्षित/अक्षय निधि	संचित निधि	अक्षय निधि खेल सहित	पृथग रक्षित निधि	एमआईएमएस अक्षय निधि	भविष्य निधि (म.वि.वि)	वर्तमान वर्ष कुल	गत वर्ष
अ) उद्घाटन शेष	13,222,942.40	3,077,710.48	116,747,404.78	976,527.00	81,918,567.00	215,943,151.66	96,813,592
i) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान			1,025,577.00			1,025,577.00	1,025,577
ii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दान							
कुल	13,222,942.40	3,077,710.48	117,772,981.78	976,527.00	81,918,567.00	216,968,728.66	97,839,169
आ) निधि में जोड़							
i) दान / अनुदान	-	60,168.00	109,726,189.00			109,786,357.00	199,312,780
ii) एचबीए एवं वाहन अभिभाषक खाते से स्थानांतर	-					-	2,573,524
iii) निवेश से आय	844,094.00	253,891.00	118,627.00	36,533.00		1,253,145.00	1,172,850
iv) अन्य जोड़ (बैंक ब्याज सहित)	73,095.00	4,725.00	-	99,000.00		176,820.00	147,797
v) निधि में सदस्यता					30,021,599.00	30,021,599.00	27,816,668
कुल	917,189.00	318,784.00	109,844,816.00	135,533.00	30,021,599.00	141,237,921.00	231,023,619
कुल (ए) + (बी)	14,140,131.40	3,396,494.48	227,617,797.78	1,112,060.00	111,940,166.00	358,206,649.66	328,862,788
इ) निधियों के लक्ष्य की ओर प्रवृत्त उपयोगिता/व्यय							
1. पुंजीगत व्यय							
अ) अचल परिसंपत्ति	351,579.00		70,431,526.00			70,783,105.00	26,042,464
आ) अन्य	-					-	-
कुल कुल (ए+बी)	351,579.00	-	70,431,526.00	-		70,783,105.00	26,042,464
2. रजस्व व्यय							
अ) वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	-		50,491,596.00			50,491,596.00	46,130,669
आ) अन्य (डबल्यू/ओ)	-					-	17,235,882
इ) अन्य प्रशासनिक व्यय	-		26,872,446.00			26,872,446.00	4,089,974
ई) अनुदान की वापसी	-		2,305,887.00			2,305,887.00	-
उ) अन्य खाते में स्थानांतरित व्याज	70,949.00		2,598.00			73,547.00	112,714
ऊ) निधि में से भुगतान	-	34,343.00			31,804,852.00	31,839,195.00	18,282,356
कुल (ए+बी+सी+डी)	70,949.00	34,343.00	79,672,527.00	-	31,804,852.00	111,582,671.00	85,851,595
कुल (1+2)	422,528.00	34,343.00	150,104,053.00	-	31,804,852.00	182,365,776.00	111,894,059
वर्ष के अंत में शेष (ए+बी-सी)	13,717,603.40	3,362,151.48	77,513,744.78	1,112,060.00	80,135,314.00	175,840,873.66	216,968,729

अक्षय निधि  
खेल

3,312,151.48  
50,000.00

  
सहायक वित्त अधिकारी


  
उप वित्त अधिकारी


  
Registrar कुल सचिव  
Manipur University




अनुसूची - 4 : सुरक्षित ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 केंद्र सरकार		
2 राज्य सरकार		
3 वित्तीय संस्थाएँ :		
अ) सावधि ऋण		
आ) व्याज जमा एवं देय		
4 बैंक		
अ) सावधि ऋण		
व्याज जमा एवं देय		
आ) अन्य ऋण		
व्याज जमा एवं देय		
5 अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ		
6 डिबेंचर एवं बॉन्ड्स		
7 अन्य		
कुल	शून्य	शून्य

अनुसूची - 5 : असुरक्षित ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 केंद्र सरकार		
2 राज्य सरकार		
3 वित्तीय संस्थाएँ :		
अ) सावधि ऋण		
आ) व्याज जमा एवं देय		
4 बैंक		
अ) सावधि ऋण		
व्याज जमा एवं देय		
आ) अन्य ऋण		
व्याज जमा एवं देय		
5 अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ		
6 डिबेंचर एवं बॉन्ड्स		
7 अचल जमा		
8 अन्य : ईएमएमआरसी	1,800,000.00	1,800,000.00
कुल	1,800,000.00	1,800,000.00

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव


मणिपुर विश्वविद्यालय


वर्ष 2011-12


अनुसूची - 6 : आस्थगित ऋण देयताएँ	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अ) पंजी उपकरणों एवं अन्य परिसंपत्तियों के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृत हुंडियाँ		
आ) अन्य		
कुल	शून्य	शून्य

अनुसूची - 7 : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अ वर्तमान देयताएँ		
1. स्वीकृत हुंडियाँ		
2. विविध लेनदार		
अ) माल के लिए	52,317,717.00	126,750,468
आ) अन्य कार्य	120,230,000.00	
3 अग्रिम अनुदान प्राप्त		
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं		
अ) सुरक्षित ऋण एवं उधार		
आ) असुरक्षित ऋण एवं उधार		
5. वैधानिक देयताएँ		
अ) अतिदेय		
आ) अन्य		
6. अन्य वर्तमान देयताएँ		
प्रेषण प्रतीक्षारत कटौती	18,029,187.77	32,061,946
वापसी योग्य एवं भुगतान योग्य	45,328,216.00	36,494,069
ईएमएमआरसी को देय		5,095,394.00
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ( देय सेवावृत्ति)		21,186,704.00
कुल -अ	262,187,218.77	195,306,483

B प्रावधान		
1 काराधान हेतु		
2 उपदान	211,665,647.00	188,414,080
3 सेवा निवर्तन/ सेवावृत्ति		
4 संचित छुट्टी नकदीकरण	141,834,153.00	128,399,247
5 व्यापार वारंटियाँ/ दावे		
6 Others		
कुल - बी	353,499,800.00	316,813,327
कुल (ए+बी)	615,687,018.77	512,119,810

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव Registrar  
Manipur University.

मणिपुर विश्वविद्यालय


अनुसूची - 8 : स्थिर परिसंपत्ति


वर्ष 2011-12


विवरण	सकल ब्लॉक					दर %	अवमूल्यन				शुद्ध ब्लॉक	
	वर्ष क आरंभ म लागत/मूल्यांकन	वर्ष क दौरान जोड़	वर्ष क दौरान घाटा	वर्षात म लागत/मूल्यांकन			वर्ष क आरंभ म	वर्ष क दौरान जोड़	वर्ष क दौरान घाटा	चालू वर्ष म कुल	चालू वर्षात म	गत वर्षात म
1 भूमि	778,687			778,687		-				778,687	778,687	
2 भवन	1,593,455,633	50,341,030	-	1,643,796,663	2	150,237,943	32,875,933	-	183,113,876	1,460,682,787	1,443,217,690	
3 जलापूर्ति	49,343,879	2,264,575		51,608,454	5	2,467,194	2,580,423	-	5,047,617	46,560,837	46,876,685	
4 बिजली अधिष्ठापन	74,552,572	3,678,909		78,231,481	7.5	11,057,976	5,867,361	-	16,925,337	61,306,144	63,494,596	
5 उपकरण	195,842,023	20,641,646	-	216,483,669	7.5	95,102,692	14,308,387	-	109,411,079	107,072,590	100,739,331	
6 कंप्यूटर एवं परिधीय	33,231,221	8,778,897		42,010,118	15	14,514,564	6,254,883		20,769,447	21,240,671	18,716,657	
7 पुस्तकालय पुस्तक	53,940,245	2,823,892		56,764,137	5	27,205,582	2,142,664		29,348,246	27,415,891	26,734,663	
8 वाहन	10,157,213	396,831		10,554,044	10	5,559,630	1,517,741		7,077,371	3,476,673	4,597,583	
9 फर्नीचर एवं फिक्सचर	35,937,869	17,165,136		53,103,005	7.5	10,589,144	3,734,111		14,323,255	38,779,750	25,348,725	
कुल	<b>2,047,239,342</b>	<b>106,090,916</b>	-	<b>2,153,330,258</b>	<b>60</b>	<b>316,734,725</b>	<b>69,281,503</b>	-	<b>386,016,228</b>	<b>1,767,314,030</b>	<b>1,730,504,617</b>	
गत वर्ष	1,802,593,090	244,646,252	-	2,047,239,342		252,971,646	63,763,079	-	316,734,725	1,730,504,617	1,549,621,444	
10 प्रायोजित परियोजनाओं के अनुदान में से प्राप्त परिसंपत्तियाँ												
a) कंप्यूटर एवं परिधीय		719,513		719,513	15	-	107,927		107,927	611,586		
b) उपकरण	163,825,727	68,491,224		232,316,951	7.5	75,326,998	15,410,070		90,737,068	141,579,883	88,498,729	
c) पुस्तक	6,397,930	1,154,393		7,552,323	5	2,008,712	371,874		2,380,586	5,171,737	4,389,218	
d) फर्नीचर	404,876	66,396		471,272	7.5	121,464	35,345		156,809	314,463	283,412	
गत वर्ष	170,628,533	70,431,526		241,060,059		77,457,174	15,925,216		93,382,390	147,677,669	93,171,359	
कुल	144,586,069	26,042,464		170,628,533		66,608,580	10,848,594		77,457,174	93,171,359	77,977,489	
गत वर्ष	2,217,867,875	176,522,442	-	2,394,390,317	60	394,191,899	85,206,719	-	479,398,618	1,914,991,699	1,823,675,976	
गत वर्ष	1,947,179,159	270,688,716	-	2,217,867,875	-	319,580,226	74,611,673	-	394,191,899	1,823,675,976	1,627,598,933	
8 प्रगतिरत कार्य अ) भवन	आदि शेष 347,859,717	के दौरान जोड़ 157,107,152	पूर्ण 50,341,030	शेष 454,625,839						454,625,839	347,859,717	
कुल	347,859,717	157,107,152	50,341,030	454,625,839	-	-	-	-	-	454,625,839	347,859,717	
गत वर्ष	342,966,758	210,438,779	205,545,820	347,859,717						546,454,547	-	
कुल	2,565,727,592	333,629,594	50,341,030	2,849,016,156	60	394,191,899	85,206,719	-	479,398,618	2,369,617,538	2,171,535,693	
गत वर्ष	2,290,145,917	481,127,495	205,545,820	2,565,727,592	-	319,580,226	74,611,673	-	394,191,899	2,370,130,523	1,627,598,933	

अनुसूची- 9 : पृथग रक्षित/अक्षय निधि से निवेश							
	अक्षय निधि एमआईएमएस	अक्षय निधि	पृथग रक्षित निधि	संचित निधि	भविष्य निधि	वर्तमान वर्ष कुल	गत वर्ष कुल
1 सरकारी प्रतिभूतियों में					38,754,973.00	38,754,973.00	9,212,500
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (एसबीआई -एमएफ)					-	-	5,677,419
3 शेयर					-	-	-
4 डिबेंचर एवं बॉन्ड्स					-	-	-
5 सहायक उपक्रम एवं संयुक्त उद्यमों					67,393,991.00	82,091,553.00	72,429,251
6 अन्य [ एसबीआई के साथ विशेष सावधि जमा ]	518,660.00	3,020,654.00	1,345,541.00	9,812,707.00			
वर्ष के कुल	518,660.00	3,020,654.00	1,345,541.00	9,812,707.00	106,148,964.0	120,846,526.00	87,319,170
पिछले वर्ष के कुल	482,127.00	2,891,977.00	1,228,168.00	12,303,000.00	70,413,898.00	87,319,170	85,773,948

अनुसूची 10 : निवेश							
अन्य	गैर-योजनेतर	सेवावृत्ति निधि	जमा	एमआईटी	योजना	कुल वर्तमान वर्ष	कुल गत वर्ष
1 सरकारी प्रतिभूतियों में						32,785,482.00	3,211,200
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (एसबीआई -एमएफ)		20,667,900.00	12,117,582.00			-	-
3 शेयर						-	-
4 डिबेंचर एवं बॉन्ड्स						-	-
5 सहायक उपक्रम एवं संयुक्त उद्यमों						10,139,311.00	17,216,305
6 अन्य [ एसबीआई के साथ विशेष सावधि जमा ]	-	6,195,730.00	196,081.00	3,747,500.00			
कुल	-	26,863,630.00	12,313,663.00	3,747,500.00	-	42,924,793.00	20,427,505
पिछले वर्ष		20,201,371	226,134	-		20,427,505	36,622,165

  
सहायक वित्त अधिकारी


  
उप वित्त अधिकारी


  
कुल सचिव

मणिपुर विश्वविद्यालय

वर्ष 2011-12

अनुसूची 11 : वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	वर्तमान वर्ष					गत वर्ष	
(अ) वर्तमान परिसंपत्तियाँ							
1 इवेंटरी							
2 विविध देनदार							
अ) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण							
आ) अन्य							
3 हाथ में नकदी शेष (चेक/ ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)							
विशेष निधि	130,660.00	सामान्य निधि	739,121.71		869,781.71		1,633,303
4 बैंक शेष							
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ	ईएमएमआरसी(बीओड) विशेष निधि	सामान्य निधि					
चालू खाते पर	5,095,394.00	72,482,262.28	216,728,289.23		294,305,945.51		230,171,157
जमा खाते पर							
बचत खाते पर		5,008,254.58	38,571,291.40	43,579,545.98	337,885,491.49	25,155,278	255,326,435
आ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ							
5 डाकघर बचत बैंक							
कुल (अ)					338,755,273.20		256,959,738
(आ) ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ							
1 ऋण							
अ) कर्मचारी					182,750.00		144,350
आ) संस्था के जैसे गतिविधियों/उद्देश्यों में लगे अन्य संस्थाएं					-		7,000,000
इ) अनिय (एमआईटी छात्रवास)							7,144,350
कुल					182,750.00		
2 नकद में या वस्तु के रूप में या मूल्य के रूप में प्राप्त किए जाने वाले अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य राशि							
अ) पूंजी खाते पर							-
आ) पूर्व-भुक्तान							234,703.00
इ) अन्य	अन्य	235,003.00	व्यय के खिलाफ अर्जा	43,691,279.00	43,926,282.00		17,370,046
कुल					43,926,282.00		17,604,749
3 प्रोद्भूत आय							
अ) पृथग रक्षित/अक्षय निधि/भविष्य निधि आदि से निवेश पर							
एमआईएमएस	संचित निधि	भविष्य निधि	पृथग रक्षित निधि	अक्षय निधि			
	268,215.00	999,961.00	25,941.00	50,617.00	1,344,734.00		1,129,288
आ) निवेश पर-अन्य							
इ) ऋण एवं अग्रिम ( एमआईटी छात्रवास खाता)				सेवावृत्ति निधि	जमा खाता		
				595,430.00	7,315.00	602,745.00	436,206
कुल						1,947,479.00	1,565,494.00
4 प्राप्य दावे							
कुल (बी)						46,056,511.00	26,314,593
कुल (ए+बी)						384,811,784.20	283,274,331

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव  
Registrar  
Manipur University.

मणिपुर विश्वविद्यालय

वर्षांत 31.3.2012 के लिए आय तथा व्यय के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 12 - बिक्री तथा सेवा से आय

वर्तमान वर्ष

गत वर्ष

- 1) बिक्री से आय
  - अ) तैयार माल की बिक्री
  - आ) कच्चे माल की बिक्री
  - इ) माल के अवशेष की बिक्री
  
- 2) सेवा से आय
  - अ) मजदूरी तथा संसाधन प्रभार
  - आ) व्यावसायिक तथा परामर्श सेवाएँ
  - इ) एजेंसी कमीशन तथा ब्रोकरेज
  - ई) अनुरक्षण सेवाएँ ( उपकरण / संपदा)
  - उ) अन्य :


कुल

शून्य


शून्य



सहायक वित्त अधिकारी



उप वित्त अधिकारी




कुल सचिव

Registrar  
Manipur University  
12


मणिपुर विश्वविद्यालय  
वर्षांत 31.3.2012 के लिए आय तथा व्यय के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अनुदान तथा सब्सिडी ( प्राप्त अटल अनुदान तथा सब्सिडी )		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) केंद्र सरकार		877,476,841.00	906,553,911
2) राज्य सरकार		5,318,590.00	5,867,251
3) सरकारी एजेंसियाँ		12,425,958.00	-
4) संस्थाएँ/कल्याण निकाय		-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	1,018,173,389.00	-	-
6) अन्य अग्रिम अनुदान	120,230,000.00	897,943,389.00	519,000
		<u>2,722,000.00</u>	<u>912,940,162</u>
कुल		897,943,389.00	
7) कम : पूजीगत अनुदान माने गए अनुदान योजना के तहत अनुदान		413,317,000.00	313,761,000
कम : आवर्ती व्यय के लिए उपयुक्त पूजी अनुदान		<u>42,264,131.50</u>	25,952,855
अलग श्रेय किए गए पृथग रक्षित निधि अनुदान		371,052,868.50	287,808,146
निर्दिष्ट निधि खाता		109,726,189.00	287,808,146
मणिपुर सरकार से अनुदान		-	199,170,580
अन्य से पूजी अनुदान		-	400,000
		480,779,057.50	487,378,726
आय तथा व्यय लेखा को देय आवर्ती व्यय के लिए अनुदान		<u>417,164,331.50</u>	<u>425,561,437</u>

अनुसूची 14 - शुल्क तथा अनुमोदन	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	467,275.00	395,660
2) वार्षिक शुल्क/ अनुमोदन	91,070,133.00	68,904,197
3) संगोष्ठी/ कार्यक्रम शुल्क	189,400.00	-
4) परामर्श शुल्क	15,000.00	-
5) अन्य	-	-
अ) खेल शुल्क	2,888,620.00	2,346,730
आ) अक्षय निधि शुल्क एमआईएमएस	-	-
कुल	94,630,428.00	71,646,587

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव

Registrar  
Manipur University


मणिपुर विश्वविद्यालय


वर्षांत 31.3.2012 के लिए आय तथा व्यय के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ


अनुसूची 15 - निवेश से आय		(निधि में स्थानांतरित पृथग रक्षित/अक्षय निधि/भविष्य निधि के निवेश पर आय)					कुल वर्तमान वर्ष	कुल गत वर्ष
	एमआईएमएस अक्षय निधि	भविष्य निधि	पृथग रक्षित निधि	भविष्य निधि	संचित निधि			
1) ब्याज								
अ) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-	-	-	-	
आ) अन्य बॉन्ड्स/ डिबेंचर	-	6,936,838.00	-	-	-	6,936,838.00	-	
2) लाभांश								
अ) शेयरों पर	-	-	-	-	-	-	-	
आ) साँझा निधि प्रतिभूतियों पर	-	1,755,073.00	-	-	-	1,755,073.00	-	
3) किराये	-	-	-	-	-	-	-	
4) अन्य								
अ) बैंकों के साथ विशेष सावधि जमा	36,533.00	4,866,178.00	118,627.00	253,891.00	844,094.00	6,119,323.00	4,911,683	
आ) बचत खाता बैंक		617,973.00	-	4,725.00	14,341.00	637,039.00	476,024	
<b>कुल वर्तमान वर्ष</b>		<b>14,176,062.00</b>	<b>118,627.00</b>	<b>258,616.00</b>	<b>858,435.00</b>	<b>15,448,273.00</b>	<b>5,387,707</b>	
<b>कुल गत वर्ष</b>		<b>4,194,661.00</b>	<b>133,655.00</b>	<b>211,286.00</b>	<b>848,105.00</b>	<b>5,387,707.00</b>	<b>5,229,663</b>	

अनुसूची - 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) रॉयल्टी से होने वाली आय	-	-
2) प्रकाशन से होने वाली आय	139,725.00	1,710
3) अन्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>139,725.00</b>	<b>1,710</b>

अनुसूची -17 : अर्जित आय			
1) सावधि जमा पर			
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ		3,521,587.00	1,270,771
आ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-	-
इ) संस्था के साथ	12186	-	-
ई) अन्य	3660959	-	-
<b>कुल (1)</b>	<b>-151558</b>	<b>3,521,587.00</b>	<b>1,270,771</b>
2) बचत खातों पर	3521587		
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ		629,239.00	202,887
आ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-	-
इ) डाकघर बचत खाते के साथ		-	-
<b>कुल (2)</b>		<b>629,239.00</b>	<b>202,887</b>
3) ऋण पर			
अ) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
आ) अन्य		-	-
<b>कुल (3)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल अनुसूचित - 17</b>		<b>4,150,826.00</b>	<b>1,473,658</b>

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
Registrar  
Manipur University.



मणिपुर विश्वविद्यालय

वर्षांत 31.3.2012 के लिए आय तथा व्यय के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ


अनुसूचित 18 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ अ) स्वामित्व परिसंपत्ति आ) अनुदान से अधिग्रहण किया गया या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्ति	-	-
2) प्रोत्साहित निर्यात	-	-
3) विविध सेवाओं से शुल्क	5,566,425.00	9,790,669
4) विविध आय	-	-
5) संचित निधि से स्थानांतरण	103,131.00	112,714
6) विद्यार्थी जमा खाता	-	-
कुल	5,669,556.00	9,903,383

अनुसूचित 19- तैयार माल के भंडारण में वृद्धि/(कमी) तथा प्रगतिरत कार्य


- 1) अंतिम भंडारण  
तैयार माल  
प्रगतिरत कार्य
- 2) कम: आदि भंडारण  
तैयार माल  
प्रगतिरत कार्य  
शुद्ध वृद्धि (कमी)

शून्य

शून्य



सहायक वित्त अधिकारी



उप वित्त अधिकारी



कुल सचिव


Registrar  
Manipur University


मणिपुर विश्वविद्यालय


वर्षांत 31.3.2012 के लिए आय तथा व्यय के हिस्से बनाने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 20 : स्थापना व्यय	भुगतान	अग्रिम से समायोजन	प्रावधान/ देयता	कम : देयता गत वर्ष	कुल	गत वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	375,365,719.70			-	375,365,719.70	327,034,020
भविष्य निधि के लिए अंशदान						842,707
सेवावृत्ति का अंशदान / भुगतान	64,608,751.00			-	64,608,751.00	26,724,994
नई सेवावृत्ति योजना के लिए अंशदान	4,468,403.00			-	4,468,403.00	3,556,168
कर्मचारी कल्याण व्यय ( कर्मचारी वर्दी)	480,607.00				480,607.00	2,312,328
कर्मचारी भर्ती तथा सेवांत लाभ पर व्यय						
अ) उपदान	11,176,037.00		23,251,567	-	34,427,604.00	29,069,589
आ) अवकाश भुनाना	7,059,267.00		13,434,906	-	20,494,173.00	21,119,503
इ) सेवावृत्ति देनदारी						
अन्य						
अ) अधिलाभ	1,682,074.00				1,682,074.00	1,058,900
आ) चिकित्सा व्यय	4,985,301.00				4,985,301.00	7,944,601
इ) छुट्टी यात्रा रियायत	828,646.00				828,646.00	2,383,622
<b>कुल</b>	<b>470,654,805.70</b>	<b>-</b>	<b>36,686,473</b>	<b>-</b>	<b>507,341,278.70</b>	<b>422,046,432</b>


	देयता			प्रावधान		
	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	अतिरिक्त देयता	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	अतिरिक्त
उपदान	-	-	-	188,414,080	211,665,647	23,251,567
अवकाश भुनाना	-	-	-	128,399,247	141,834,153	13,434,906
सेवावृत्ति	-	-	-			
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>316,813,327</b>	<b>353,499,800</b>	<b>36,686,473</b>


  
सहायक वित्त अधिकारी


  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव

अनुसूची 21 - प्रशासनिक व्यय आदि	मणिपुर विश्वविद्यालय अग्रिम से समायोजित		देयता प्रावधान	कम : देयता गत वर्ष	कुल	गत वर्ष
	भुगतान					
<b>अ शैक्षिक समर्थन</b>			-			
1 कार्यक्षेत्र व्यय	112,938.00		-		112,938.00	562,607
2 प्रयोगशाला व्यय	3,269,278.00		-		3,269,278.00	2,541,709
3 कंप्यूटर का रखरखाव	318,968.00		-		318,968.00	413,433
4 संगोष्ठी, सम्मेलन एवं पाठ्यक्रम	3,685,377.00		-		3,685,377.00	2,912,626
5 नियतकालिक एवं पत्रिका	2,013,453.00		-		2,013,453.00	493,316
6 खेल सम्मेलन	879,429.00		-		879,429.00	2,433,762
7 छात्रावास व्यय	817,729.00		-		817,729.00	135,983
8 छात्रावृत्ति, पीएच-डी अध्येतावृत्ति आदि	9,526,028.00		-		9,526,028.00	5,713,244
9 परीक्षा एवं प्रवेश व्यय	11,128,758.00		-		11,128,758.00	9,856,644
10 अन्य शैक्षिक समर्थन व्यय	3,418,210.00		-		3,418,210.00	1,913,404
<b>कुल</b>	<b>35,170,168.00</b>				<b>35,170,168.00</b>	<b>26,976,728</b>
<b>आ अन्य प्रशासनिक व्यय</b>						
1 मूद्रण एवं लेखन सामग्री	6,167,274.00				6,167,274.00	4,236,853
2 ईंधन एवं वाहन का रखरखाव	3,620,965.00				3,620,965.00	5,214,344
3 भवन का रखरखाव	9,634,158.00				9,634,158.00	10,878,376
4 अन्य परिसंपत्तियों का रखरखाव	783,914.00				783,914.00	799,884
5 अतिथि गृह व्यय	481,170.00				481,170.00	258,904
6 विश्वविद्यालय प्रकाशन	1,036,370.00				1,036,370.00	73,877
7 संस्थानों में सदस्यता शुल्क	50,160.00				50,160.00	57,150
8 चिकित्सा एवं अस्पताल सामान	260,623.00				260,623.00	229,622
9 सुरक्षा कर्मी एवं होमगार्ड	2,342,169.00				2,342,169.00	2,232,761
10 विधिक व्यय	581,840.00				581,840.00	256,262
11 यात्रा	2,805,492.00				2,805,492.00	3,219,679
12 विज्ञानपन	1,507,111.00				1,507,111.00	1,624,557
13 विद्युत प्रभार	10,381,419.00				10,381,419.00	11,423,277
14 दूरभाष एवं संचार	3,085,668.00				3,085,668.00	3,879,222
15 जलापूर्ति	1,937,410.00				1,937,410.00	2,981,706
16 दीक्षांत	205,268.00				205,268.00	536,892
17 संग्रहालय पर व्यय	210,933.00				210,933.00	60,000
18 उपरी पृथग रशिद	392,337.00				392,337.00	784,946
19 प्रतिनियुक्ति व्यय	144,899.00				144,899.00	98,936
20 परामर्श व्यय	366,555.00				366,555.00	
21 आकस्मिकता व्यय	4,868,755.00				4,868,755.00	8,435,436
<b>कुल</b>	<b>50,864,490.00</b>				<b>50,864,490.00</b>	<b>57,282,684</b>
<b>कुल (ए+बी)</b>	<b>86,034,658.00</b>				<b>86,034,658.00</b>	<b>84,259,412</b>

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल ~~Registrar~~  
Manipur University. 17

मणिपुर विश्वविद्यालय

अनुसूची 22 - अनुदान, सहायता आदि पर व्यय  
1) संस्थानों में दिए गए अनुदान  
आ) संस्थानों को दी गई सहायता  
कुल

शून्य


शून्य


अनुसूची 23 - ब्याज प्रभार  
1 स्थिर ऋण पर  
2 अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)  
3 अन्य (भविष्य निधि)  
कुल


शून्य

शून्य

18

  
सहायक वित्त अधिकारी

  
उप वित्त अधिकारी

  
कुल सचिव

Registrar  
Manipur University.

## मणिपुर विश्वविद्यालय

वर्ष 2011-12

अनुसूची 24 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ लेखा पर टिप्पणी

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### 1. लेखा मानक

क) परंपरागत तरीके से लेखाओं का अनुरक्षण तथा वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है ।

ख) राजस्व तथा संबंधित परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं की मान्यता

विश्वविद्यालय सामान्यतः लेखा के नकदी के आधारों के अनुसार कार्य करता है । हालांकी वे देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ जिनका पता लगाया गया तथा यहाँ खुलासा किया गया हैं, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए लेखा में शामिल कर ली गई है तथा प्रदान की जा रही है ।

ग) सेवा निवृत्ति लाभः

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ पर देयता यथा – उपदान, 31 मार्च, 2012 तक सेवा अवधि एवं बाकी रह गए अवकास की संख्या के आधार पर अनुमानित वेतन प्रदान किया जाता है तथा प्रोद्घवन के आधार पर हिसाब किया जाता है जो खर्च पर शुल्क लगाया जाता है । .

घ) सेवानिवृत्ति सेवावृत्ति का हिसाब प्रोद्घवन के आधार पर किया गया है ।

ङ) बैंक की विशेष सावधि जमा पर ब्याज का हिसाब त्रैमासिक योग के साथ खंडित अवधि के ब्याज सहित प्रोद्घवन आधार पर किया जाता है ।

च) विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का हिसाब वास्तविक रसीद के आधार पर किया जाता है । इस प्रकार वित्तीय वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त शुल्कों को प्राप्ति वर्ष की आय मानी जाती है । विद्यार्थियों से प्राप्य शुल्क अथवा बकाया राशि का हिसाब नहीं किया गया है ।

छ) 31.03.2012 को कार्य के मूल्य का जो बिल भुगतान के लिए पारित की गई थी लेकिन जिसका भुगतान नहीं हुआ उन्हें खाते में दर्ज कर ली गई तथा तत्संबंधी देयता प्रदान की गई । उन कार्यों को खाते में नहीं लिया गया है जो ठेकेदारों द्वारा किए गए हैं लेकिन जिन का बिल नहीं बनाया गया । इस तरह के कार्यों के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

ज) प्रगतिरत कार्य जिनका भौतिक रूप से मापन/अमापन किया गया हो लेकिन बिल प्रस्तुत नहीं किया गया हो उन्हें खाते के विवरण में दर्ज नहीं किया गया है ।

### झ) विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिभूति जमा

प्रतिभूति जमा नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए एक जीवित दावा माना जाता है। अवधि के पूर्ण होने पर बकाया राशि को अदावी देयता माना जाता है तथा विश्वविद्यालय के आय के रूप में मान्यता प्राप्त होता है।

### 2. ईएमएमआरसी शैक्षिक मल्टि मीडिया अनुसंधान केंद्र (ईएमएमआरसी) के खाते

क) ईएमएमआरसी के परिचालन राजस्व एवं व्यय को खाते में दर्ज नहीं किया गया है चूँकि विश्वविद्यालय की बजट में केंद्र की बजटीय माँग को शामिल नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय से अलग केंद्र की अपनी प्रतिष्ठा है। हालाँकी 31.03.2009 तक केंद्र द्वारा अर्जित पूँजीगत परिसंपत्तियों एवं संचित निधि को समेकित खाते से अभी तक अलग नहीं किया गया है।

### 3. अनुदान का राजस्व एवं पूँजीगत अनुदान में प्रभाजन

क) राजस्व अनुदान के रूप में योजना व्यय के तहत अनुदान सहायता में से व्यय की गई राजस्व प्रकृति के विस्तार को आय एवं व्यय खाता में जमा किया जाता है। शेष राशि को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है तथा संचित (पूँजी) निधि खाते में जमा किया जाता है।

ख) विभागों द्वारा पृथग रक्षित निधि (विभाग द्वारा अनुसंधान कार्य हेतु) के तहत प्राप्त अनुदान एवं योगदान की पूर्ण राशि निधि खाते में शामिल की जाती है तथा राजस्व अथवा पूँजी को कोष के लिए प्रभार किया जाता है। हालाँकि अनुदान में से निर्मित परिसंपत्तियों के मूल्य अचल परिसंपत्ति में संचित (पूँजी) निधि खाते के साथ लिया जाता है चूँकी अनुदान के नियमानुसार ये निर्मित परिसंपत्तियाँ विश्वविद्यालय की संपत्ति का एक हिस्सा है।

ग) पूँजी संपत्ति परिसंपत्ति निर्माण के विशिष्ट उद्देश्य से अलग प्राप्त अनुदानों को सीधे राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजी अनुदानों को संचित निधि खाते में जमा किया जाता है।

### 4. उपभोग्य सामग्रियों की सूची का मूल्यांकन

उपभोग्य वस्तुओं को आमतौर पर तत्काल उपयोग के लिए खरीदा जाता है तथा इसकी कोई भी महत्वपूर्ण मात्रा को स्टोक में नहीं रखा जाता है। अतः वर्ष के दौरान खरीदी गई उपभोग्य वस्तुओं की लागत को वर्ष के व्यय में पूर्ण रूप से जोड़ा जाता है।

## 5. निवेश का मूल्यांकन

- क) एसबीआई के साथ विशेष सावधि जमा (एसटीडी) पर मिले ब्याज का तिमाही पुनर्निवेश किया जाता है अर्थात् निवेश के तारीख से योग किया जाता है। अतः एसटीडी का मूल्यांकन मूल राशि एवं वर्ष की अंतिम तिमाही तक इकट्ठा किए गए पुनर्निवेश ब्याज के योग के रूप में किए जाते हैं।
- ख) खंडित अवधि अर्थात् पिछली पुनर्निवेश तारीख से 31 मार्च तक के ब्याज को ब्याज आय के रूप में पहचाना जाता है तथा प्रोद्भूत लेकिन भुगतान न की गई आय के रूप में माना जाता है। खंडित अवधि पर मिले ऐसे ब्याज को "ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्ति" के शीर्ष में निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज के रूप में तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।
- ग) अनुबंध में निवेश को पुनर्निवेश ब्याज के साथ आँका जाता है।
- घ) पारस्परिक निधि इकाइयों के निवेश को लागत प्लस अभिवृद्धि वाले भाव के अतिरिक्त नवीनतम उपलब्ध एनएवी प्रति के रूप के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
- ङ) किसी भी निवेश का मूल्यहास नहीं किया गया है चूँकि ये निवेश "परिपक्वता के लिए आयोजित" श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त ढुलाई लागत से नीचे वाली पारस्परिक निधि इकाइयों के बाजार मूल्य में कोई कटौती नहीं है।

## 6. अचल परिसंपत्तियाँ

- क) अचल परिसंपत्तियों को अर्जन के लागत पर लिया जाता है जिसमें सीधा अर्जन से संबंधित खर्चों को भी लिया जाता है। निर्माण संबंधी परियोजनाओं के मामले में पूर्व-संचालित खर्चों को भी परिसंपत्ति की लागत में समाहित किया जाता है।
- ख) गैर-वित्तीय अनुदान पर प्राप्त परिसंपत्ति का हिसाब संचित (पूँजी) निधि खाते में होता है।
- ग) पृथग रक्षित निधि (प्रायोजित परियोजना) के तहत अनुदान में से निर्मित परिसंपत्तियों के मूल्य को संचित (पूँजी) निधि खाते के साथ पूँजीकृत किया जाता है।
- घ) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुनर्निवेश नहीं हुआ।

## 7. मूल्यहास

- क) अनुसूची - 8 : अचल परिसंपत्ति में दी गई दर पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार अवमूल्यन किया गया है।
- ख) अनुकूल वर्षों के दौरान अर्जित परिसंपत्ति पर मूल्यहास किया गया है। वर्ष के खंड के लिए संगत मान को शेष के रूप में रखने की अनुमति दी गई है।
- ग) किसी भी परिसंपत्ति को जब तक प्रयोग में न लाया जाए तब तक उसका अवमूल्यन नहीं किया जाता है।
- घ) एक वर्ष की पूर्ण अवधि का अवमूल्यन उसी अवधि के दौरान प्राप्त की गई परिसंपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

## 8 विशेष उद्देश्य के लिए पृथग रक्षित निधि [विशेष प्रयोजन निधि]

(संचित निधि, अक्षय निधि, पृथग रक्षित निधि, एमआईएमएस अक्षय निधि एवं भविष्य निधि)

- क) अनुदान, दान, सहयोग, बैंक ब्याज एवं निवेश से प्राप्त आय के माध्य से प्राप्त/आय को सीधे निधि में जोड़ा जाता है तथा राजस्व अथवा पूँजीगत व्यय की ओर किसी भी निवर्तमान को निधि में जोड़ा जाता है। वर्षांत में शुद्ध शेष को निधि का शेष माना जाता है।
- ख) चूँकि इन निधियों को सामान्य संचित (पूँजी) निधि से अलग माना जाता है अतः निधि के निवेश से प्राप्त ब्याज को आय एवं व्यय में अप्रत्यावर्तन करता है।
- ग) भविष्य निधि के संबंध में वर्षांत पर कर्मचारी सदस्यों के कोष में शेष कुल राशि को कुल निधि खाते के रूप में माना जाता है। ऐसे कुल निधि के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त परिसंपत्ति को सामान्य आरक्षित माना जाता है तथा इस तरह से समूह प्रमुख भंडार एवं अधिशेष (अनुसूची-2) के तहत अलग से दिखाया जाता है।
- घ) इन निधियों को तुलन पत्र (अनुसूची-3) में स्वतंत्र एवं स्पष्ट रूप से अलग-अलग शीर्ष में दर्शाया गया है।

## 9 अंतर खाता उधार

खातों के बीच उधारी में विरुद्ध प्रकृति के मदों को तुलन पत्र में परिलक्षित नहीं किया जाता। हालाँकि इस तरह के अंतर खाता उधार के विवरण को अलग से खाते पर टिप्पणी के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

## 10 कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

वर्तमान सेवानिवृत्ति लाभ हैं - उपदान, छुट्टी भुनाना एवं सेवानिवृत्ति। लाभों को निम्नलिखित धारणाओं पर क्रियान्वित किया गया है।

- क) उपदान की पात्रता के लिए कर्मचारी सदस्यों को निर्धारित अवधि तक विश्वविद्यालय की सेवा में रहना पड़ेगा।
- ख) 31.3.2012 पर सेवारत वर्ष की संख्या के साथ कर्मचारी 31.3.2012 को सेवानिवृत्त होता है।
- ग) प्रावधानों को वास्तविक भुगतान में प्रत्यावर्तन किया जाएगा।



#### 11 व्यय के लिए ऋण एवं अग्रिम

- क) खर्च के लिए भुगतान को "अग्रिम" शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। इन अग्रिमों को केवल उसी समय खर्च किया जाता है जब अग्रिम भुगतान की गई गतिविधियों को पूरा किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संबंधित दस्तावेजी खर्चों को अनुमोदित एवं पारित किया जाता है।
- ख) लेखा विवरण में दिखाए गए ऋण एवं अग्रिम को खर्च या अन्यथा के रूप में अच्छा तथा वसूलीयोग्य माना गया है तथा इस तरह के निकसान के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं है।

#### 12 विदेशी विनिमय लेन-देन

सीधे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश किए जाने वाले विदेशी विनिमय से संबंधित लेन-देन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में साख पत्र (विदेशी) खोलने के द्वारा उपकरणों के आयात के संबंध में हैं। साख पत्र खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में एक समान राशि (रुपए में) जमा किया जाता है जो बैंक द्वारा विदेशी दस्तावेजों पर संज्ञोता वार्ता करते समय उपयोग में लाई जाती है।

#### 13 पूँजीगत प्रतिबद्धता

पूँजी कार्य अनुबंध के संबंध में पूँजी प्रतिबद्धता को कार्य के अपूर्ण होने से लेखा में प्रदान नहीं किया जाता है। इन प्रतिबद्धताओं को कार्य के निष्पादन के बाद संगत बिल के साथ लेखा में शामिल किया जाता है।

#### 14 आकस्मिक देयता

लेखा पर टिप्पणी के तहत इसका खुलासा किया गया है।

ख. लेखा पर टिप्पणी

1 अंतर लेखा उधार

31.3.2012 को अंतर लेखा उधार की स्थिति निम्नानुसार है:

I देयताएँ (द्वारा उधार)									
	लेखा शीर्ष	योजना	योजनेतर	जमा खाता	पृथग रक्षित निधि	भविष्य निधि	संचित निधि	क्रीडा निधि	कुल
1	योजना			2,10,00,000	64,17,922				2,74,17,922
2	योजनेतर	7,14,74,453							7,14,74,453
3	जमा खाता	0	0	0	0	0	0	0	-
4	पृथग रक्षित निधि		38,99,525						38,99,525
5	भविष्य निधि			20,00,000					20,00,000
6	संचित निधि		4,00,000						4,00,000
7	क्रीडा निधि			88,680					88,680
	कुल	7,14,74,453	42,99,525	2,30,88,680	64,17,922	-	-	-	10,52,80,580
II परिसंपत्तियाँ (को ऋण)									
1	लेखा शीर्ष								-
2	योजना		7,14,74,453						7,14,74,453
3	योजनेतर				38,99,525		4,00,000		42,99,525
4	जमा खाता	2,10,00,000				20,00,000		88,680	2,30,88,680
5	पृथग रक्षित निधि	64,17,922							64,17,922
6	भविष्य निधि								-
7	संचित निधि								-
	कुल	2,74,17,922	7,14,74,453		38,99,525	20,00,000	4,00,000	88,680	10,52,80,580

2. सेवानिवृत्ति लाभ [संदर्भ- अनुसूची-20: स्थापना व्यय के निचले भाग]
- क) उपदान के प्रावधान को 31.3.2012 तक किए गए सेवाकाल से परिकलन किया जाएगा (छह माह से अधिक हुआ तो एक वर्ष माना जाएगा) चालू वेतन में अधिकतम 33 वर्ष माना जाएगा। गणना इस अनुमान पर की जाती है कि 31.3.2012 तक वर्तमान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक विश्वविद्यालय की सेवा में रहना चाहिए। उपदान के कुल प्रावधान 21,16,65,647 रुपए पर आ गया है। अतः 31.3.2011 को हुए 18,84,14,080 रुपए के कुल प्रावधान पर वर्ष के दौरान 232,51,567 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- ख) छुट्टी भुनाने के प्रावधान का आधार यह है कि कर्मचारी द्वारा 31.3.2012 तक अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी नहीं ली गई हो। उस आधार पर छुट्टी भुनाने की कुल राशि 14,18,34,153 रुपए पर आ गया है। 31.3.2011 को हुए 12,83,99,247 रुपए के पिछले प्रावधान पर 134,34,906 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
3. बैंक खाता एवं निवेश पर अर्जित ब्याज
- पृथग रक्षित तथा अन्य विशेष निधियों (अनुसूची-3) के मामले में उपरोक्त उपार्जनों को विशेष प्रयोजन हेतु निधि लेखा में अतिरिक्त आय माना जाता है तथा साधारण निधि के संबंध में भी इसे आय के रूप में माना जाता है। भविष्य निधि के मामले में उपार्जन सदस्य के भविष्य निधि लेखा में ब्याज के रूप में जाता है तथा बाकी सामान्य आरक्षित लेखा में स्थानांतरित किया जाता है।

उपार्जित आय निम्नानुसार हैं

	आय में जमा	कर्मचारी लेखा में जमा/निधि में जमा	सामान्य आरक्षित (भविष्य निधि) से स्थानांतरित कुल ब्याज
1) बैंक खाता में ब्याज (कुल)	616,988	63,91,903	77,83,174
2) निवेश पर ब्याज	135,58,089		

31.3.2011 को प्राप्त 204,82,114.70 रुपए के विरुद्ध उपर्युक्त राशि की अभिवृद्धि सहित 31.3.2012 को संचित रिजर्व 286,76,518.70 रुपए हैं।

4. अचल परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यहास (अनुसूची-8)

मूल्यहास का परिकलन प्रभावी वर्ष के दौरान क्रय की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जाता है। वर्ष के खंड में शेष रह गए मूल्यों को शुद्ध शेष के रूप में माना जाता है। प्रभावी अवधि तथा योग्यता राशि निम्नांकित हैं -

क्र.	विषय	मूल्यहास दर	प्रभावी वर्ष	वर्ष का परिसंपत्ति क्रय	मूल्यहास योग्य कुल राशि
1	भवन	2%	50	1981-82	164,37,96,663
2	विद्युत संस्थापनाएँ	7.5%	13	2006-07	7,82,31,481
3	उपकरण	7.5%	13	1999-2000	19,07,78,489
4	कंप्यूटर	15%	6	2006-07	4,16,99,222
5	पुस्तकालय पुस्तक	5%	20	1992-93	4,28,53,283
6	वाहन	10%	10	2002-03	97,38,121
7	फर्नीचर एवं स्थिर वस्तुएँ	7.5%	13	1999-2000	4,97,88,145
8	जलापूर्ति	5%	20	2010-11	25,80,423
विशेष निधि में से परिसंपत्ति					
1	उपकरण	7.50%	13	1999-2000	20,54,67,595
2	पुस्तक	5%	20	1992-93	74,37,478
3	फर्नीचर	7.5%	13	2007-08	4,71,272
4	कंप्यूटर एवं पिरधीय	15%	6	2011-12	7,19,927

5 विदेशी विनिमय लेन-देन

वर्ष के दौरान विदेशी मूद्रा में कोई लेन-देन नहीं किया गया ।


6. व्यापारिक वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री का लेन-देन नहीं किया गया ।

7 वर्ष के दौरान यूजीसी से ईएमएमआरसी आगे की प्रेषण के लिए 141,27,394.00 रुपए प्राप्त किये गए थे । जिन में से ईएमएमआरसी को 90,32,000.00 रुपए प्रेषित किए गए । 50,95,394.00 की शेष राशि को वर्तमान देयता माना गया है । शेष राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, इंफाल के बैंक खाते में पड़ी है ।


8. 'ऋण एवं अग्रिम' शीर्षक के अंतर्गत प्राप्य/ उपार्जित ब्याज में विशेष सावधी जमा पर ब्याज से बैंक द्वारा गलत तरीके से कटौती की गई आयकर शामिल है जो 10,94,454.00 रुपए पर जम गया है । विश्वविद्यालय ने राशि की वापसी के लिए बैंक पर दावा किया है टीडीएस अभी भी बैंक से वसूली योग्य माना जाता है । अतः नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

9. आकस्मिक देयता: प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त कोई अन्य आकस्मिक देयता नहीं है ।

10. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप गत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है ।



सहायक वित्त अधिकारी



उप वित्त अधिकारी



कुल सचिव

Registrar  
Manipur University.